

## आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक संख्या (716)आणविकी/नि.रा./2013/ ६६४-

दिनांक:- २-६/०७/१४

## आदेश

राजस्थान शेर सरकारी महाविद्यालय राजस्थान अधिनियम, 1993 पांच वर्षां पश्चात् इस जारी अनापत्ति नियम-पत्र द्वारा राजस्थान राज्य 2010-10 से आयुक्तालय पर पूर्णरचनित चालाय/विधय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र नियन्त्रित शर्तों के साथ प्रयाग किया जाएगा है।

संचालक राज्य	महाविद्यालय का नाम	राज्यताक विश्वविद्यालय	पूर्णरचनित प्रक्रम व विधय
श्रीधीरस शिक्षण संस्थान, सोनली, सीकर।	रिपोर्टरामन शिखी विदेशी, वजाहा जामा, शोगली, चन्दपुरा, सीकर।	१०. दीनगढ़ी उपाध्याय शिखावाड़ी विश्वविद्यालय, सीकर।	स्नातक रसायन पर-वाणिज्य, रक्काय- एवं प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, व्यावसायिक प्रशासन। प्रियान रक्काय- प्राचीनास्त्र, वन्नरपतिशासन, भौतिक ज्ञान, रसायनशास्त्र, गणित।

- संस्था प्रत्येक सत्र में निर्धारित आवधि में नियमानुसार गय वापिक शुल्क आगेदन करेगी।
  - आदर्शवक्तानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकता तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा घाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
  - संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
  - संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में दी०सीज्डाइ० से जानकारी व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। ताप्यश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाए।
  - संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
  - संस्था द्वारा सांख्यिकी जामा राज्य (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक ५ वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
  - संस्था महाविद्यालय में डाक्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अहताधारी प्रादायार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अधौक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
  - राज्य सरकार संस्था को धर्मभाग व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
  - संस्था संकाय व विधयवार शीटों का आवर्तन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय लवनुसार तथ संख्या सौना में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
  - राज्य सरकार की नियमी महाविद्यालय नीति 2018-19 तथा दाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
  - संस्था प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट [www.dce.rajasthan.gov.in](http://www.dce.rajasthan.gov.in) से सांख्यिकी पुस्तिका एवं संस्थाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनाएं भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
  - मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल [www.aishe.nic.in](http://www.aishe.nic.in) पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी हार्ड कॉपी आगामी १५ दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा।
- उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

आयुक्त १०/७  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- विशिष्ट सहायक सा० उच्च शिक्षा नीति गोदावरी, राजस्थान, जयपुर।
- नियमी संचिव आ० मुख्य संचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलेजटर सीकर।
- कल्पना उपाध्याय शिखावाड़ी विश्वविद्यालय, सीकर।
- संसाधन विविध विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- तात्त्विकी शिक्षा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- जनक विद्यालय।

१०/८  
संयुक्त-निदेशक (नि०स०)  
जयपुर